फर्द अहकाम

नाम न्यायालय S.D.O प्रथम Jaipur — दलपत सिंह बनामं भंवरी देवी वगैरा

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		आज दिनांक 15/12/17 को पत्रावली पेश हुई पी.ओ.सा. अवकाश/अन्य राजकार्य पर/कंडेशन है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 03/1/18 पेश हो। आदेशार्थ	
	03.1.18	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्र.पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया जायेगा। पत्रावली फैसल-शुमार, नम्बर से कम होकर दाखील दफ्तर हो। निर्णय सरे ई-जलास सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम), जयपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर

प्रार्थना–पत्र संख्याः 48 / 2017
पीठासीन अधिकारीः आशीष कुमार आर0ए0एस0

1. दलपत सिंह पुत्र राव राजेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी उनियारा गार्डन, जयपुर हाल निवासी डी–180 , राममार्ग हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर ।

बनाम

1. भवरी देवी पत्नी रामधन
2. आशीष मीणा
3. बबली मीणा

सभी जाति मीणा, निवासीयान मीणा कॉलोनी, उनियारा गार्डन के पीछे, जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।

4. तहसीलदार, तहसील जयपुर, कलक्ट्रेट परिसर, बनीपार्क, जयपुर।

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक :03.1.2018**

प्रार्थी / वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता उनवानी वाद के साथ राजस्व ग्राम भवानीशंकरपुरा तहसील जयपुर स्थित भूमि खसरान0216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,239 / 247 कुल किता 26 राकबा 19 बीघा 3 बिस्वा हेतु जिसके खातेदार काश्तकार रावराज सरदार सिंह पुत्र गुमान सिंह जाति राजपूत निवासी उनियारा को उनकी मुत्यु हो चुकी है, उनके पुत्र राज राजेन्द्र सिंह की मत्यु हो चुकी है, प्रार्थी उनका पुत्र है, और वर्तमान में वादग्रस्त भूमि का खातेदार है। वादग्रस्त भूमि उनियारा गार्डन से प्रसिद्व है।

अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि उनियारा गार्डन के पीछे मीणा कालोनी में रहते हैं,प्रार्थना–पत्र पत्रकी मद संख्या 2 में वर्णित उनका वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है, न ही कभी रहा है। अप्रार्थीगण जहा निवास करते है, उससे लगती हुई वादग्रस्त भूमि में भूमि खसरा न0 235 व 236 है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3, सीमा के सहारे रहने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि खसरा न0 235 व 236 के कुछ भाग पर कब्जा करने के प्रयास में लगे रहते है। पहले भी अप्रार्थीगण ने इस प्रकार का प्रयास किया, परन्तु वादी की सजगता के कारण वे सफल नहीं हो सके। अप्रार्थीगण ऐसे प्रयास के अवसर में लगे है। अभी हाल ही मे दिनांक 09 / 07 / 2017 गुरू पूर्णिमा के दिन अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की नियत से वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 235 व 236 के कुछ भाग पर निर्माण कार्य करना आरम्भ कर दिया। प्रार्थी को इसका पता चलने पर प्रार्थी ने उनसे ऐसा करने से रोका तो, वे झगडा फसाद करने पर आमादा हो गये, प्रार्थी ने भूमि अपनी होना जाहिर किया तो वे नही माने और प्रार्थी को धमकी दी कि यह जमीन उनकी है, और हम इस पर निर्माण करेंगे तुम्हारी जमीन की पहले सीमा मालूम करो। अप्रार्थीगण की इस धमकी से वादी स्तब्ध रह गया, उसने उन्हें काफी समझाया परन्तु वे प्रार्थी से गाली गलोच व झगडा करने पर उतारू रहे, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के लिए अपनी भूमि की सीमाएँ घोषित कराना आवश्यक हो गया है।

वादग्रस्त भूमि चारों तरफ से आबादी एरिया से घिरी है, और काफी कीमती है, इसलिये अप्रार्थीगण की नियत निर्माण कर जबरन कब्जा करने की है, ऐसी स्थिति में भी प्रार्थी के लिए अपनी सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का सीमांकन कर उसकी चतुर्थ सीमाऐं घोषित करना आवश्यक हो गया है और यही वाद का कारण है।

प्रार्थी ने यह वाद बाबत घोषणा न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि खसरा न0 235 व 236 की भूमि पर निर्माण कार्य करने को आमादा है। जब तक वादी की भूमि का सीमाज्ञान व सीमा का निर्धारण नहीं हेा जाता है तब तक उन्होने यदि वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य कर लिया तो वादी को असहनीय क्षति हो जायेगी। वादग्रस्त भूमि की किस्म कृषि से अकृषि में परिवर्तित हो जायेगी। यहॉ तक की प्रार्थी का मूल वाद प्रस्तुत करने का उद्वेश्य ही

समाप्त हो जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के लिये अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है कि वे वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 235 व 236 अथवा अन्य भू–भाग या उसके किसी भी भू–भाग पर निर्माण कार्य न करें ना ही जबरन कब्जा करे। इस कारण प्रार्थी को उनके विरूद्व निषेधाज्ञा के लिये भी वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा है कि प्रार्थना–पत्र की मद स02 में वर्णित भूमि व खसरा न0 235 व 236 के किसी भी भाग पर किसी भी प्रकार का कब्जा न करे ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे ना ही अन्य से करावे।

प्रार्थना पत्र के मद नंबर 2 में वर्णित तथ्यों में जिस खसरा नं0 की भूमि खातेदार काश्तकार राव राजेन्द्र सिंह के नाम बताई गई है, तो ना तो खातेदारी की भूमि रही है और ना ही प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार है। चूकि विवादित भूमि सन 1976 में ही उक्त भूमि शहरी सीमा में मानते हुए दिंनाक 18.04.1984 को सक्षम अधिकारी, द्वितीय नगर संकुलन, जयपुर द्वारा राजकीय भूमि घोषित की जा चुकी है। सिर्फ प्रार्थी के हक में 1500 वर्ग मीटर भूमि धारित योग्य बताई गई है, शेष भूमि राजकीय भूमि घोषित की जा चुकी है एंव स्वयं प्रार्थी के पिता द्वारा जो रिटर्न अरबन सीलिंग सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है, उसमें भी भूमि कच्ची बस्ती के कब्जे में बताई गई है। जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर उनियारा गार्डन स्थित होना स्वीकार है। शेष वर्णन मिथ्या होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने पूर्व में भी सिविल कोर्ट, जयुपर में इसी भूमि के सन्दर्भ में दावा किया था जिसमें टी.आई. का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था जो निरस्त किया जा चुका है एंव प्रार्थी ने सही तथ्यों को छिपाते हुए उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दायर किया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में जो भूमि आदि बताई गई है, वह खसरा न0 235 की बताई गई है एंव खाली भूमि बताई गई है। जब दिनांक 18.04.1984 द्वारा राज्य सरकार द्वारा समस्त भूमि को अवाप्ति योग्य घोषित कर दिया गया तो उसके पश्चात प्रार्थी को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। जहां तक अप्रार्थीगण का प्रश्न है, अप्रार्थीगण का परिसर दादा पडदादा के समय से ही पुख्ता मकानात बनाकर उनियारा गार्डन मे निवास करते आ रहे है एंव स्वयं प्रार्थी के पिता द्वारा 1842 वर्गमीटर भूमि में कच्ची बस्ती में मकानात बने हुए बताये गये हैं जो सन 1976 की भरी गई विवरणिका में 100 वर्ष पूर्व ही ट्रैसपासर द्वारा कब्जा किया जाना बताया गया है। इसलिए उक्त मकानात भी सैंकडों वर्ष पूर्व के बने हुए है जो काफी पुराने होने की वजह से उनको पुनः निर्मित किया जा रहा है। अप्रार्थीगण के नल बिजली के कनेक्शन सम्पति में कई वर्षो से लगे हुए है जिनके बिल आदि भी अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। इसलिए जो भी निर्माण किया जा रहा है, वह पूर्णरूपेण कानूनी रूप से प्राप्त मिल्कियत की भूमि पर किया जा रहा है। ना तो मिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को कोई ऐलानिया धमकी दी है, ना ही कोई गाली गलौच अथवा मारपीट की गई है और ना ही दिनांक 09.07.2017 को अप्रार्थीगण ने किसी भी प्रकार कोई कब्जा आदि करने का प्रयास किया है। समस्त वर्णन मिथ्या एंव निराधार है जिनमें लेशमात्र भी सच्चाई नहीं हैं। प्रार्थी किसी प्रकार की काई घोषणा माननीय न्यायालय से कराने का कतई अधिकारी नही है।

अप्रार्थीगण वर्षो से बुजर्गो के समय से उक्त स्थान पर निवास रहे है जिनके दादा आदि के वोटरलिस्ट में नाम दर्ज हैं जिनके दादा आदि के वोटरलिस्ट में नाम दर्ज है। स्वयं भी प्रार्थी द्वारा उनियारा गार्डन में ही अप्रार्थीगण का निवास होना लिखकर सम्मन नोटिस भिजवाया गया है। इसलिए यह लिखना कि उक्त भूमि प्रार्थी की मिल्कियत की भूमि है एंव उस पर कब्जा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, के आधार पर ही प्रार्थी किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं।

उप खण्ड अधिकारी

न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0पत्र पर प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस व अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युतर तथा दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी/वादी की ओर से न्यायालय समक्ष वाद बाबत घोषणा (सीमाऐं) निषेधाज्ञा अन्तर्गत धरा 89 व 188 का प्रस्तुत किया गया है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणात्मक होनें पर वाद में तनकीयात कायम कर, प्रतिवादीगणों के जवाब प्राप्त कर व साक्ष्य गवाह व जिरह आधारित निर्णय पारित किया जाएगा। अप्रार्थीया का वादग्रस्त आराजीयात् पर कब्जा चला आ रहा है ऐसा मा. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 04 जयपुर महानगर उनवानी भंवरी देवी बनाम नगर निगम में उल्लेख किया गया है, ऐसे में वर्तमान स्थिति में अस्थाई निषेद्याज्ञा प्रार्थना पत्र में किसी भी तरह से परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेद्याज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधज्ञा प्रा0पत्र में ग्राम भवानी शंकरपुरा तहसील जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,247 कुल किता 26 रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा तथा अप्राथीगणों को मौके पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नही किये जाने हेतु ता–वाद निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फेशल–शुमार से कम हो। निर्णय सरे ईजलाम सुनाया गया ।

आज दिनांक 03.01.2018 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इर्जलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम जयपुर